मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0
(म0 प्र0 शासन का उपक्रम)
''ऊर्जा भवन '', लिंक रोड–2, शिवाजी नगर, भोपाल, (म. प्र.)
फोन–2553595, 2556246, फेक्स – 2553122, 2556245

क्रमांक–ऊविनि/सोलर थर्मल/157/2011–12/1971 दिनांक–04.08.2011

प्रति,

सभी संबंधित

....

....

....

विषय–सौर गर्म जल संयंत्र निर्माता ईकाईयों के साथ बैठक में लिए गए निर्णय बावत्।

संदर्भ–दिनांक–03.08.11 को ऊर्जा भवन में आयोजित बैठक

उपरोक्त बैठक में सौर गर्म जल संयंत्र हेतु केन्द्रीय सरकार के उपलब्ध अनुदान के विमुक्तिकरण हेतु लिये गये निर्णय/बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

(नीरज मण्डलोई)

प्रबंध संचालक

<u>सौर गर्म जल संयंत्र के विषय में दिनांक 03.08.2011 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

आज दिनांक 3 अगस्त को सौर गर्म जल संयंत्र के विषय में 15 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता स्थापित करने के वर्ष 2011–12 के लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारियों एवं सौर गर्म जल संयंत्र की कंपनियों एवं डीलरों तथा अक्षय ऊर्जा शॉप के संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई । बैठक में उपस्थिति संलग्न पत्रक के अनुसार रही ।

सर्वप्रथम भारत शासन द्वारा इस वर्ष से अग्रिम अनुदान मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को जारी किये जाने की सूचना देते हुए निगम द्वारा शीघ्र सबसीडी मुक्त करने हेतु निम्न योजना पर विचार किया जा रहा है । इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. बैंक गारंटी आधारित तत्काल अनुदान विमुक्तीकरण योजना – सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना के पश्चात उनके वास्तविक भौतिक सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ''तत्काल योजना'' प्रारंभ की जा रही है, जिसमें (नवीन एवं नवकरणी ऊर्जा मंत्रालय) भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी या उनके द्वारा प्रदेश में केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से बैंक गारंटी प्राप्त होने पर निगम द्वारा उनकी ओर से सौर गर्म जल संयंत्रों के अनुदान के प्रस्तावों पर उपलब्ध सीमा तक तीन कार्य दिवस के अंदर अनुदान मुक्त कर जारी किया जाएगा ।

2. अनुदान विमुक्तिकरण में लगने वाले समय को कम करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा एक चेकलिस्ट जारी की जा रही है जिसके अनुसार अनुदान के दावे प्रस्तुत किये जा सकेंगे । चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेख पूर्ण होने पर तत्काल योजनांतर्गत तीन कार्य दिवस के अंदर अनुदान जारी कर दिया जाएगा ।

3. अनुदान जारी होने के पश्चात मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार संयंत्रों की तकनीकी जाँच एवं सत्यापन कराया जाएगा । इस कार्य हेतु 2000 लीटर प्रतिदिन से अधिक के संयंत्रों को दावा प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी द्वारा स्वयं निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रेषित करना अनिवार्य होगा । 2000 लीटर प्रतिदिन से कम क्षमता के संयंत्रों के लिए जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलीटेक्निक कॉलेज / आई.टी.आई. के योग्य अधिकारी / कर्मचारियों के माध्यम से मानदेय के आधार पर सत्यापन कराये जाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं । मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रयास रहेगा कि सभी प्रकार के दावों का सत्यापन सामान्यतः 30 से 45 दिवस के अंदर अनिवार्यतः किया जाए ।

4. उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों को अनुरोध किया गया था कि वे तीन दिवस में अपना वर्ष 2011–12 की संभावित क्षमता स्थापना के आंकलन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में प्रस्तुत कर दें जिससे कि निगम को योजना बनाने में सुविधा हो ।

5. जो कंपनियां तत्काल योजना में भाग लेना चाहती हैं वे लगभग दो माह के अनुदान दावों का आंकलन कर निगम में उतनी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दें, जो 31 मार्च तक वैध होगी । बैंक गारंटी का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जाएगा एवं उक्त वर्ष 2010–11 में वास्तविक रूप से स्थापित किये गये संयंत्रों की कुल क्षमता की जानकारी भी देंगे ।

6. वर्तमान में तत्काल योजना मुख्यालय स्तर से ही संचालित की जाएगी एवं इसकी प्रगति की समीक्षा उपरांत इसे जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी स्तर तक प्रत्यायोजित करने के बारे में पृथक से निर्णय लिया जाएगा ।

7. बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम संबंधित कंपनी या उनके द्वारा प्रदेश में केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित करेगा जिसमें तत्काल योजना के क्रियान्वयन की शर्तें, ऊर्जा विकास निगम का दायित्व एवं कंपनी का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे । इस अनुबंध का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जाएगा ।

उपरोक्त के अलावा माह सितम्बर में जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी स्तर पर लगाये जाने वाले उपभोक्ता जागरूकता शिविरों के विषय में चर्चा की गई तथा इस संबंध में प्रत्येक जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी से कंपनियों को संपर्क कर शिविर में व्यापक भागीदारी निभाने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत शासन द्वारा चेनल पार्टनर के माध्यम से सौर गर्म जल संयंत्रों की स्थापना की पद्धति भी यथावत जारी रहेगी एवं उसका मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों से कोई विरोधाभास नहीं है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने के विषय में यह स्पष्ट किया गया कि यह अतिरिक्त अनुदान केवल शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं को एवं निजी क्षेत्र में 2000 से 10000 लीटर प्रतिदिन के संयंत्रों को लगाने वाले केवल संस्थागत उपयोगकर्ताओं (निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थाओं/धार्मिक संस्थाओं आदि) के लिए उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त निर्णय के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(नीरज मण्डलोई)
प्रबंध संचालक

सौर गर्म जल संयंत्र के विषय में दिनांक–03.08.11 की बैठक का उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	कार्यालय/ईकाई का नाम
1.	श्री नीरज मण्डलोई	प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम, भोपाल
2.	श्री सुधीर आर.	टाटा बी.पी. सोलर
3.	श्री कपिल खरे	भास्कर एनर्जी टाटा बी.पी.
4.	श्री विजय अरोरा	गाधिया सोलर
5.	श्री सुमित रावत	निधि अक्षय ऊर्जा शॉप
6.	श्री नीलेश बनकर	रेकॉल्ड थर्मो लि.
7.	श्री पी.के. कुट्टी	पॉवर ट्रोनिक्स सोलर प्रा.लि., इंदौर
8.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	बिपिन इंजीनियर्स प्रा.लि. इंदौर।
9.	श्री वीरेन्द्र चटवाल	एमपायर फैनट्रॉनिक्स प्रा.लि. नई दिल्ली
10.	श्री अतुल चौहान	एमपायर फैनट्रॉनिक्स प्रा.लि. नई दिल्ली
11	श्री एम.के. रावत	फेयर फेबिकेटर्स इंदौर।
12	श्री मुनीष यादव	इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. भोपाल
13	श्री श्याम महेश्वरी	बजाज सोलर सोल्युशन भोपाल
14.	श्री सतीश शुक्ला	श्रेयांस एनर्जी प्रा.लि. जबलपुर
15.	श्री अमन खरे	जैन इरीगेशन
16.	श्री कमलेन्द्र जैन	अक्षय ऊर्जा शॉप टीकमगढ़
17.	श्री योगेश रनाडे	एम.एम. सोलर प्रा.लि. नागपुर
18.	श्री मेहरा	सुदर्शन सौर
19.	श्री अभिषेक पॉलीवाल	ग्रीन फील्ड मटेरियल वेन्डिंग प्रा.लि. मुम्बई
20.	श्री ए. गोस्वामी	स्पेक्ट्रम एनर्जी सिस्टम
21.	श्री प्रभात श्रीवास्तव	रेडर्न एनर्जी प्रा.लि.
22.	श्री सौरभ सिंह	सुदर्शन सौर शक्ति प्रा.लि. महाराष्ट्र
23.	श्री खुर्शीद अन्सारी	मेसर्स न्यूटेक सोलर सिस्टम प्रा.लि. भोपाल
24.	श्री अनूप गर्ग	अति. कार्यपालन यंत्री म.प्र. ऊर्जा विकास निगम भोपाल
25.	श्री संजय कुमार वर्मा	अति. कार्यपालन यंत्री म.प्र. ऊर्जा विकास निगम भोपाल
26.	श्री दीपक बुलानी	सहायक यंत्री म.प्र. ऊर्जा विकास निगम भोपाल
27.	श्री पी.के. कन्नोजे	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी छिंदवाड़ा
28.	श्री एस.एल. बजाज	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी शाजापुर
29.	संदीप सरन	मैनेजर अक्षय ऊर्जा शॉप भोपाल